



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 303 सन् 2026

सपना ...याचिकाकर्ता
बनाम
भारत संघ और 2 अन्य ...प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संजय कुमार चौरासिया, श्याम सुंदर शर्मा
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., गोपाल वर्मा

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. शर्मा और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गोपाल वर्मा को सुना गया।
2. प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई है कि वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता के पास मूल आवेदन दाखिल करके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाने का उपाय है, क्योंकि राहत उत्तरी रेलवे, मुरादाबाद के विरुद्ध मांगी गई है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, एआईआर 1997 एससी 1125 के निर्णय का हवाला दिया गया है।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है और याचिकाकर्ता को इस विषय पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प खुला रखा गया है।

14 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)